कार्यालय नगर पंचायत केसरिया

पत्रांक 404 दिनांक 02-07-19

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार पटना।

विषयः– निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 471/12–13 का साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2010–11 से 2011–12 अवधि में आपके कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा अभिलेखों एवं पंजियों से संबधित आपति निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या– 471/12–13 द्वारा लगायी गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 471/2012–13 का जवाब कार्यालय के द्वारा तैयार कर ली गई है, एवं सशक्त स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28.06.2019 के प्रस्ताव संख्या 02 के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः भवदीय को प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0:– निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 471/2012–13
कि प्रश्न एवं उत्तर सहित एवं साक्ष्य कि छायाप्रति।

विश्वासभाजन

ह0 –

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

ज्ञापांक 404 / दिनांक 2.7.19

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक– सह– विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

2.7.19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

आज दिनांक 28.6.19 को पूर्वाह्न [illegible] बजे नगर पंचायत केसरिया के सशक्त स्थायी समिति की बैठक नगर पंचायत केसरिया में आयोजित की गई। निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

(हस्ताक्षर) 28.6.19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

(1) श्री रजनीश कुमार पाठक मुख्य पार्षद — रजनीश कुमार पाठक
(2) श्रीमती बेला देवी उप मुख्य पार्षद — (हस्ताक्षर)
(3) श्री मनोज राम वार्ड पार्षद — मनोज राम
(4) श्री रौशन कुमार वार्ड पार्षद — रौशन कुमार
(5) श्री अजित कुमार साहू वार्ड पार्षद — अजीत कुमार साहू

बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद सह पीठासीन पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार पाठक की अध्यक्षता में हुई। निर्धारित एजेंडा के अनुसार विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव सं० 1 गत बैठक की पठन कर सुनाया गया समीक्षा-उपरांत बैठक की सम्पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

प्रस्ताव सं० 2 अंकेक्षण आपत्ति सं० – 47/2012-13 का अनुपालन तैयार की गई जिसे अनुमोदित कर महालेखाकार बिहार पटना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को भेजने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

(हस्ताक्षर)
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, केसरिया

कार्यालय नगर पंचायत केसरिया

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–471/2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन

अवधि 2010–11 से 11–12 तक

नगर पंचायत केसरिया में सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.06.2019 में प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा अनुमोदित।

क्रम सं0	आपति का शीर्षक	आपति संक्षेप में	अनुपालन	अभियुक्ति
1	प्रस्तावना		अनुपालन की आवश्यकता नहीं है ।	
2	प्रशासन		अनुपालन की आवश्यकता नहीं है ।	
3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र		अनुपालन की आवश्यकता नहीं है ।	
4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन नगर पंचायत बोर्ड से पारित करवाकर कार्यालय को प्रेषित किया जाय ।	इस कार्यालय के पत्रांक 328 दिनांक 30.08.12 के माध्यम से पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा 244/2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है ।	
5	प्रमुख लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ	लेखा परीक्षा मे उठाये गये बिन्दुओ का आगे कंडिकावार विवरणा की सूची	संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन आगे की कंडिकाओं में है ।	
6	आतंरिक लेखा परीक्षा	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर पंचायत के लेखाओं की आतरिक लेखा परीक्षा के संबंधित दिशानिर्देश तथा नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध है कि आतंरिक जॉच प्रक्रिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों की पुनरावृति न हो ।	शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है ।	
7	आय–व्यय	1. वर्ष अंत में आय–व्यय विवरणी नहीं बनाया गया । 2. अंतर का बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया । 3. पी0एल0खाता पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।	अगले लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2014–15 में लेखा परीक्षा जॉच में लेखा परीक्षा जॉच दल को आपतियों का निराकरण कर दिखाया गया है । जॉच दल द्वारा कोई आपति नहीं की गई ।	
8	वार्षिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन	नगर पंचायत,केसरिया द्वारा, बिहार नगरपालिका लेखा नियम,1928 के नियम 82 लेखा 84 के तहत वितीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 तक का प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार प्राप्तियाँ त्रैमासिक व मासिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन तैयार करवाने की दिशा में उचित व प्रभावी कदम उठया जाय ।	बिन्दुवार अनुपालन का प्रक्रिया अपनायी जा रही है ।	

3.7.15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, केसरिया

9	लेखाओं का संधारण	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के आय–व्यय संबंधित लेखा तैयार करेगा । उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपतियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई अताब नहीं दिया गया ।	बिन्दुवार अनुपालन का प्रक्रिया अपनायी जा रही है	
10	सरकारी अनुदान	नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था । अतः अनुदान पंजी का उचित रूप से संधारण कर एवं प्राप्त अनुदानों में से किये गए व्यय की उपयोगिता प्रमाणपत्र अगलेलेखा परीक्षा में दिखाया जाय ।	जिला कोषागार के निर्देशानुसार आवंटन पंजी संधारित है जिसमें सभी अनुदान की राशि निहित है।	
11	कम/नहीं जमा	विविध रसीद द्वारा वसूली गयी राशि का बैंक मे जमा देखने के क्रम मे पाया गया कि श्री मति मंजू कुमारी, सहायक (संविदा) द्वारा इसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केसरिया, खाता संख्या 855 में जमा पर्ची द्वारा दिनांक 8.12.12 को जमा किया गया जो लेखा परीक्षा दल को दिखाया गया ।	लेखा परीक्षा के दौरान अनुपालित कम जमा मो0 273 रू0 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता सं0 855 में जमा पर्ची द्वारा दिनांक 8.12.12 को जमा किया गया जो लेखा परीक्षा दल को दिखाया गया ।	
12	सम्पदा पंजी का संधारण नहीं	नगर पंचायत केसरिया द्वारा संपदा पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण नगर पंचायत की वास्तविक संपति की जानकारी नहीं हो सकी । अतः संपदा पंजी का संधारण कर अगले लेखा परिक्षा में दिखाया जाए ।	संपदा पंजी का संधारण कर लिया गया हैं।	
13	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकार सरकारी खाते में जमा नहीं (0.43)	शहरी स्थानीय निकायों को संपति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50% की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है..उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर 42730.20 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।	अनुपालन हेतु कार्रवाई की जा रही है।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, केसरिया

14.	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नही (0.39 लाख)	होल्डिंग(संपत्ति) कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी नगर पंचायत निकाय में असंधारित थी। सरकारी भवनों पर 38955.00रू0 बकाया था। भवन कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।	मांग से वसूली पंजी अगले लेखा परीक्षा दाल को प्रस्तुत किया गया। सरकारी भवनों पर बकाया राशि 38955.00 रू0 में आंशिक 5112 .रू0 वसूल किया गया है। शेष राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जिसकी छायाप्रति संलग्न	पृ0सं0 1 से 23 तक
15	संचार(मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं 312000 शुल्क बकाया रहना।	बिहार सरकार द्वारा संचार(मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित नियमावली 2012 दिनांक 08.10. 12 कों अधिसूचित किया गया है। अतः नियम 6(1) 6(2) के अनुसार बकाया राशि मो0 312000/- मोबाईल टावरों से वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।	मोबाईल टावरों पर बकाया राशि वसूली हेतु नोटिस किया जा रहा है। जिसकी छायाप्रति संलग्न	पृ0सं0 24 से 36 तक
16.	सैरात बन्दोवस्ती का निबंधन नही किये जाने से सरकारी राजस्व की हानि 0.92 लाख	राज्य सरकार के पत्रांक 1920/Re/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा I.G. Registration बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.12 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र.............................. अतः एकरारनामा नहीं किये जाने के कारणों से अगले लेखा को अवगत कराया जाय। साथ ही कम वसूली की गयी स्टॉम्प शुल्क की राशि 91593/- को वसूल कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।	जानकारी के अभाव में कम वसूल की गई। अतः इस आपती से मुक्त करने कि कृपा किया जाय।	

.7.19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

17-	वाहन पड़ाव बन्दोवस्ती वर्ष 2011–12 में जमानत राशि जब्त नही करने से हानि 1.05 लाख	संचिका के अवलोकन से पत्ता चला कि "मेन रोड केसरिया वाहन पंड़ाव" के वर्ष 2011–12 के लिए बन्दोवस्ती की आम सूचना दि गई। लेखा परीक्षा आपत्तियाँ: (1) बन्दोवस्ती के शर्तो को पूरा नही करने पर बंदोबस्तदार को उनकी जमानत राशि किस आधार पर वापस किया गया। (2) अतः जमानत की राशि जब्त नहीं करने से हुई हानि 104500.00 की वसूली संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों सें की जाय तथा पुरे प्रकरण की विभागीय जॉच की जाय।	इस कार्यालय को पत्रांक 343 दि0 21.07.2017 के आलोक में मो0 104500.00 का चेक(चेक सं0 905939 दि0 12.12.2017) चेक द्वारा जामा किया गया। जिससे कार्यालय का MR No- 1799 दि0 12.12.17 द्वारा प्राप्ति राशिद दिया गया है।(छायाप्रति संलग्न)	पृ0 सं0 37 से 38
18-	सफाई उपस्करों के क्य के अग्रधन राशि जब्त नही 0.12 लाख	सफाई उपस्कर से संबंधित संचिका के जॉच में पाया गया कि 12वीं एवं 13वीं वित् मद से सफाई उपस्कर यथा:– हाइड्रलिक ट्रेंलर, हाथ ठेला, एवं कुड़ादान खरीद हेतु हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरन समाचार पत्र में निविदा सूचना प्रकाशित कि गई। निविदा खोलने के बाद सबसे कम दर प्रायोजित निविदादाता श्री दुर्गा इन्टरप्राइजेज कंकड़बाग, पटना को सफाई उपस्कर आपुर्ति के लिए दिनांक 21.04.2011 को आपूर्ति ओदश दिया गया। परन्तु दुर्गा इन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 02.05.2011 को सामग्री आपूर्ति से पूर्व चार लाख रू0 अग्रिम मॉग गया। कार्यपालक पदा0 द्वारा Revised Bihar Financial Rule 2005 का हवाला देते हुए वर्णित किया गया कि किसी भी फर्म को राशि की अदायगी आपूर्ति के पश्चात् ही की जायेगी। साथ ही यह भी कहा	आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति निर्गत करने के पश्चात् आपूर्तिकर्ता द्वारा अग्रिम राशि का दिनांक दिनांक किया गया निविदा में प्रावधान नही रहने के कारण अग्रिम राशि स्वीकृत नही किया गया तथा आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया गया आपूर्ति आदेश रद्द के पश्चात् आपूर्तिकर्त्ता द्वारा रद्द आपूर्ति आदेश के निहित सामग्रिओं के विरूद्व मात्र हाइड्रोलिक टेक्टर का डाला कार्यालय में भेजा गया जिसके कार्यालय द्वारा प्राप्त नही किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपने आवेदन दि0 23.01.12 द्वारा अग्रधनी का राशि मो0 12380.00 कि मॉग कि गई जिसे आदेशानुसार वापस किया गया है। अतः उक्त आपर्ति से मुक्त करने का कृपा किया जाय।	पृ0 सं0 39 से 45 तक

2.7.19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

19-	बाधित योजना पर निष्फल व्यव 1.79 लाख	योजना का नामः– मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत बाबा केसरनाथ मंदिर के निकट 8 सीट शौचालय 2 सीट स्नानघर निर्माण कार्य। इस प्रकार गलत प्रतिवेदन दिए जाने के कारण योजना पर भुगतान की राशि 179463.00 निष्फल हो गयी। अतः निष्फल व्यय हेतु जिम्मेदार/संबंधित व्यक्ति से राशि 179463.00 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।	अंकेचन आपत्ति के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 341 दि0 21.07.17 से कनिय अभियंता श्री राज कुमार को राशि वसूली हेतु लिखा गया हैं।	पृष्ठ सं0-46
20-	निरस्त			
21.	प्राक्कलन में वर्णित कार्य का कार्यान्वियन नही कर अन्य मदों में कार्य का कार्यान्वियन(0.50 लाख)	योजना का नामः– प्रखण्ड केसरिया अन्तर्गत नगर पंचायत केसरिया के प्रखण्ड के निकट पोखर में घट, पार्क का निर्माण कार्य के प्राक्कलन में वर्णित कार्य का कार्यान्वियन नही कर अन्य मंदों में कार्य के कार्यान्वियन 50,000.00रू0 वसूलनीय है। जिसे वसूली कर संबंधित निधि में जमा किया जाए।	अंकेक्षण आपति के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 340 दि0 21.07. 2017 से कनिय अभियंता श्री राज कुमार को राशि वसूली हेतु पत्र लिखा गया हैं।	पृष्ठ सं0 47
22.	प्राक्कलनों से अधिक मात्रा में कार्य किया जाने के कारण अधिक भुगतान 0. 41 लाख	योजना का नामः– नगर पंचायत केसरिया अन्तर्गत राम इकबाल ठाकुर के घर से अनुसूचित जाति जाने वाले रास्ता में काली स्थान पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य में दर्ज मापी पुस्तिका में प्राक्कलन से अधिक मात्रा में कार्य दर्ज किये जाने के कारण अधिक भुगतान मो0 41442.00रू0 संवेदक को किया गया है जो वसूलनीय है। जिसे वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।	अंकेक्षण आपति के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 342 दि0 21.07. 2017 से कनिय अभियंता श्री राज कुमार को अधिक भुगतान हेतु पत्र लिखा गया हैं।	पृष्ठ सं0-48
23.	मुल्यवर्धित कर/आयकर रॉयल्टी की राशि का कम जमा/नही जमा	नगर पंचायत केसरिया की योजना संचिकाओं के जॉच के कम में पाया गया कि वर्ष 2010 से 2011 एवं 2011-12 में विभिन्न योजना पर शेष 68680.00रू0 मुल्यवर्धित कर 38798.00रू0 आयकर एवं 260385.00रू0 रॉयल्टी राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।	मुल्यवर्धित कर, आयकर एवं रॉयल्टी की राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया गया है। चालान की छायाप्रति संलग्न	पृष्ठ सं0-49 से 53 तक

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया

24.	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय(7.76 लाख)	बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न से 1–103/87–1231/न वि वि0 दि0 06.05.1992 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गयी है परन्तु लेखा परीक्षा में में लपलब्ध रोकड़ बही के अनुसार नगर पंचायत केसरिया में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान पुल 776131.00रू0 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया है	कार्य की अधिक्ता को देखते हुए नगर पंचायत केसरिया के बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति द्वारा दैनिक दर पर मजदुर रखकर कार्य कराने की स्वीकृति प्राप्त है। ससमय कार्य सम्पादित करने हेतु विभाग से वार–वार आदेश प्राप्त होता रहता है। कार्य की महत्ता को देखते हुए दैनिक दर पर मजदुर रखने की विवशता बोर्ड के समक्ष आती रहती है। ऐसी परिस्थितियों में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार कार्य मे विलम्ब न हो, इसके लिए प्रेषित किया जाता है, कार्य की महत्ता अधिक्ता एवं परिस्थितियों को देखते हुए दैनिक दर पर मजदुर रखकर कार्य कराने का आदेश बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त है। कृपा कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
25.	श्रम उपकर की कटौती नही (1.36 लाख)	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्न कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम' 1996 के तदनुसार बिहार सरकार नें असाधारण गजट अधिसूचना संख्या 4/एफ 1–302/2006, श्र0 नि0 – 865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागु किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को प्रेषित करने का प्रावधान है। अतः श्रम उपकर राशि 135964. 00रू0 की कटौती कर राशि को भवन एवं अन्य सन्निमार्न कर्मकार कल्याण बोर्ड' को भेजा जाय तथा भविष्य में कार्यान्वित योजनाओं से श्रम उपकर की कटौती किया जाना सुनिश्रित किया जाये।	प्राक्कलन में प्रावधान के पश्चात 1% लेबर शेष कि राशि कटौती करते हुए संबंधित विभाग में जमा किया जाता है। अंकेक्षण आपत्ति के समय प्राक्कलन में प्रावधान नही होने के कारण लेबर शेष कि कटौती नही कि गयी है।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया